**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 208**

**01 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए**

**ओ.आर.ओ.पी. में पी.एम.आर. का प्रावधान**

**208. श्री मोती लाल वोरा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या यह सच है कि सरकार द्वारा घोषित 'वन रैंक, वन पेंशन' (ओ.आर.ओ.पी.) योजना को पूर्व सैनिकों ने अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) सरकार द्वारा घोषित योजना के अलावा पूर्व सैनिकों की क्या मांग है;

(ग) क्या यह सच है कि सेना में वीआरएस नहीं होता, बल्कि उन्हें पूर्व सेवानिवृत्ति (पीएमआर) दी जाती है और क्या सरकार इसके मद्देनज़र ओ.आर.ओ.पी. में पी.एम.आर. को शामिल करेगी; और

(घ) सरकार की पूर्व सैनिकों की अन्य मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)**

(क) से (घ): कतिपय भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशनें पेंशन के निर्धारण की प्रणाली, इसमें संशोधन की आवधिकता, भावी पीएमआर मामलों की कवरेज आदि में परिवर्तन करने की मांग कर रही हैं ।

वे कार्मिक जो आगे से सेना नियम, 1954 के नियम 13 (3) 1 (i) (बी), 13(3) 1 (iv) अथवा नियम 16बी अथवा समकक्ष नौसेना या वायुसेना नियमों के अंतर्गत अपने अनुरोध पर सेवा से मुक्त किए जाने का विकल्प देते हैं, वे ओआरओपी के लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे । इसे भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाएगा ।

सरकार ने, ओआरओपी के कार्यान्यवन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों, यदि कोई हैं, की जांच करने हेतु एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

\*\*\*\*\*